

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक/एफ 7-03/2018/10-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 07/06/2019
प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सामान्य अनुमोदन के भूमिगत प्रकरणों में अनुमति जारी करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत वनमंडल/मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से जारी किये गये अनुमतियों को राज्य शासन स्तर से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Website में Upload किये जाने संबंधी।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 12.12.2018 तथा स्मरण पत्र दिनांक 12.02.2019।

---00---

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्रों के माध्यम से वनमंडलाधिकारी केशकाल द्वारा (केशकाल वनमंडल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक 0.674 हे. वन भूमि एवं ग्राम जैतपुरी से ढोढरापाल तक आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 1.222 हे. वन भूमि) व्यपवर्तन के प्रकरणों में जारी अनुमति पत्र चाही गई है। उक्त अनुमति पत्र आज दिनांक तक अप्राप्त है।

2/- आदेशानुसार निवेदन है कि, कृपया उक्त अनुमति पत्र शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

Rajput
(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.क्र./एफ7-03/2018/10-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 07/06/2019
प्रतिलिपि :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Rajput
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग